



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05022026-269844  
CG-MH-E-05022026-269844

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476।

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947

No. 476।

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 23 जनवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 505(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एंव रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इशाससे उपावद्ध अनुसूची में दिया गया है “नागपुर मंडल के नागपुर - इटारसी और नागपुर - बल्लारशाह अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (07 संख्या) प्रस्तावित निर्माण” परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (वि. पा. वि. म.) वर्धा, तालुका सेलू, जिला वर्धा को लिखित रूप में किया और उसके आधार उपर्याप्त करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधी वयवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जांच

करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना सहित या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, अर्थात्: “नागपुर मंडल के नागपुर - इटारसी और नागपुर - बल्लारशाह अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (07 संख्या) प्रस्तावित निर्माण”, मध्य प्रदेश राज्य में परियोजना।

(लेवल क्रॉसिंग संख्या 96 के स्थान पर 2-लेन आरओबी के साथ आरयूबी का प्रस्तावित निर्माण)

संख्या	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव संख्या	गाँव	तालुका	सर्वे / गैट संख्या के अनुसार भूमि मालिकों का नाम	सर्वे / गैट संख्या	भूमि धारण विधि	कुल क्षेत्रफल खसरा के अनुसार (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल (हे.आर.)
--------	-------------------------------	------	--------	--	--------------------	----------------	---------------------------------------	-----------------------------

जिला : वर्धा

1.		सुकली स्टेशन	सेलू	सुनील कृष्णराव वाघमारे; मंश कृष्णराव वाघमारे; उज्वल्ला अनिल वाघमारे; आर्य अनिल वाघमारे; आयुष अनिल वाघमारे;	275 भाग	1	1.6400	0.0155
2.				गौरव विजय अष्टनाकर; गौरी रविशेखर भिवगडे; विजय मोतीरामजी अष्टनाकर; राजश्री श्रीकांत पाटिल	278 भाग		3.1900	0.0294
कुल							<b>4.8300 (हे.आर.)</b>	<b>0.0449 (हे.आर.)</b>

1.		तलोडी	सेलू	वन्दना चन्द्रमनी ब्रह्मणे, अनिल संभाजी लोटे; बारात संभाजी लोटे; सुशीला गुलाब लोटे; रायभान संभाजी लोटे	85 भाग	1	0.9200	0.0425	
2.				प्रमोद वामनराव अदमाने	86 भाग	1	0.4300	0.0272	
3.				राजकुमार ज्ञानेश्वर कांबले		87 भाग	1	1.0700	0.0714
4.				चेतन दामोधरराव शिंदे		110 भाग	1	1.3100	0.0248

क्रम संख्या	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव संख्या	गाँव	तालुका	सर्वे / गैट संख्या के अनुसार भूमि मालिकों का नाम	सर्वे / गैट संख्या	भूमि धारण विधि	कुल क्षेत्रफल खसरा के अनुसार (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल (हे.आर.)
5.				धनराज भैयाजी चौधरी, प्रवीण भैयाजी चौधरी	111 भाग	1	3.1500	0.0001
6.				प्रमोद वामनराव अदमाने: अमोल कृष्णाजी दडवे	113 भाग	1	2.5700	0.0913
7.				प्रशांत यादव सैटोन, अभयकुमार यादव सातोन: वर्षा सुभाष तडसः संध्या यादव सातोन; जयन्त वामनराव अदमाने; प्रकाश हरिचंद अग्रवाल, हेमन्त रमेश मदान, अश्विनी केतन देवतरे, केतन मार्टिंडराव देवतरे: शरदलाल जयसवाल: कन्हैय्यालाल जयसवाल, सुजीता सुभाष जयसवाल	114 भाग	1	8.9000	0.0310
							कुल 18.3500 (हे.आर.)	0.2883 (हे.आर.)
							कुल योग 23.1800 (हे.आर.)	0.3332 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/ LC 96/Sukali Station &amp; Talodi/RSP/20A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

## NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd January, 2026

## Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

**S.O. 505(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20 (A) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, “**Proposed construction of ROB & RUB (7 Nos.) in lieu of Level Crossing Gates between Nagpur – Itarsi and Nagpur – Ballarshah section of Nagpur Division**” hereby declares its intention to acquired such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Deputy Collector (Land Acquisition), Wardha, Taluka Seloo, District Wardha** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:  
**“Proposed construction of ROB & RUB (7 Nos.) in lieu of Level Crossing Gates between Nagpur – Itarsi and Nagpur – Ballarshah section of Nagpur Division”** Project in the state of Madhya Pradesh.

#### (Proposed Construction of 2-Lane ROB With RUB in lieu of level crossing no. 96)

Sr. No.	Land Acquisition Proposal No.	Village	Tehsil	Land Owners Name according to Khasara Extracts	Khasara No.	Land Holding Method	Total area as per Khasara (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
<b>DISTRICT: WARDHA</b>								
1.		SUKALI STATION	SELOO	Sunil Krushnarao Waghmare, Mansh Krushnaran Waghmare, Ujwalla Anil Waghmare; Arya Anil Waghmare; Ayush Anil Waghmare,	275	Part	1	1.6400 0.0155
2.				Gaurav Vijay Ashtanakar; Gauri Ravishekhar Bhivgade: Vijay Motiramji Ashtanakar; Rajshri Shrikant Patil	278	Part	1	3.1900 0.0294
<b>Total</b>							<b>4.8300 (Ha.)</b>	<b>0.0449</b>

Sr. No.	Land Acquisition Proposal No.	Village	Tehsil	Land Owners Name according to Khasara Extracts	Khasara No.	Land Holding Method	Total area as per Khasara (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
								(Ha.)
1.		TALODI	SELOO	Vandana Chandramni Bramhane; Anil Sambhaji Lote: Barat Sambhaji Lote: Sushila Gulab Lote; Raybhan Sambhaji Lote	85	1 Part	0.9200	0.0425
2.				Pramod Wamanrao Admane	86	1 Part	0.4300	0.0272
3.				Rajkumar Dyaneshvar Kamble	87	1 Part	1.0700	0.0714
4.				Chetan Damodharrao Shinde	110	1 Part	1.3100	0.0248
5.				Dhanraj Bhaiyaji Choudhary, Praveen Bhaiyaji Choudhary	111	1 Part	3.1500	0.0001
6.				Pramod Wamanrao Admane; Amol Krishnaji Dadve	113	1 Part	2.5700	0.0913
7.				Prashant Yadav Satone; Abhaykumar Yadav Satone; Varsha Subhash Tadas; Sandhya Yadav Satone; Jayant Vamanrao Admane; Prakash Harichand Aggarwal: Hemant Ramesh	114	1 Part.	8.9000	0.0310

Sr. No.	Land Acquisition Proposal No.	Village	Tehsil	Land Owners Name according to Khasara Extracts	Khasara No.	Land Holding Method	Total area as per Khasara (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
				Madan, Ashwini Ketan Deotare; Ketan Martandrao Deotare; Sharadlal Jaiswal; Kanhaiyyalal Jaiswal; Sujita Subhash Jaiswal				
<b>Total</b>							<b>18.3500</b> (Ha.)	<b>0.2883</b> (Ha.)
<b>Grand Total</b>							<b>23.1800</b> (Ha.)	<b>0.3332</b> (Ha.)

[F. No. G197/ LC 96/Sukali Station & Talodi/RSP/20A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)